बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 187312 पटना, दिनांक 04-06-2014

ग्रा.वि.- 9/ ✱ (ई) 04/ 2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय :- **16 जून से 22 जून, 2014 तक इच्छुक परिवारों के मॉग सृजन के संबंध में विशेष अभियान ।**

महाशय,

राज्य में मनरेगा के अंतर्गत इच्छुक परिवारों से काम की मॉग प्रभावी तरीके से प्राप्त नहीं की जा रही हैं । "काम की मॉग" सुगमतापूर्वक दर्ज की जा सके, इस हेतु आपको विशेष प्रयास करना चाहिए ।

2. इस दिशा में विभाग द्वारा टॉल फ्री हेल्पलाईन नं. 18001208001 चालू किया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति काम की मॉग दर्ज करा सकता है । संबंधित व्यक्ति को काम की मॉग की अवधि बतानी होगी । इस व्यवस्था से हर इच्छुक परिवार को अवगत कराने तथा योजना को गति देने के लिये 16 जून से 22 जून, 2014 तक इच्छुक परिवारों के मॉग सृजन के लिये विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है ।

3. इस संबंध में निम्नवत अग्रेतर दिशानिर्देश दिए जाते हैं :-

(i) पंचायत रोजगार सेवक का यह दायित्व होगा कि वे अपने पंचायत अंतर्गत हर वार्ड में वार्ड सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से जाएंगे । वे वार्ड सदस्य के साथ वार्ड के हर परिवार से व्यक्तिगत सम्पर्क करेंगे । जो परिवार काम की मॉग करते हैं, उनसे लिखित रूप से मॉग का आवेदन पत्र लिया जाएगा और पूरे 100 दिन की मॉग का सृजन किया जाएगा । जो अनुसूचित जाति परिवार काम की मॉग नहीं करते हैं, उनसे लिखित रूप से अनिच्छा प्रमाण पत्र (प्रपत्र संलग्न) लेकर अभिलेख में रखा जाएगा ।

(ii) पंचायत रोजगार सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद आवेदक को दें । वे आवेदक से विभाग के टॉल फ्री हेल्पलाईन नं. 18001208001 पर फोन करवाकर मांग की online प्रविष्टि भी करावेंगे ।

(iii) इस प्रक्रिया में यदि ऐसा कोई परिवार मिलता है, जिनके पास जॉबकार्ड नहीं हो, तो उन्हें जॉबकार्ड निर्गत करने के लिए भी आवेदन पत्र लिया जाएगा और विहित प्रक्रिया का

पालन करते हुए उन्हें जॉबकार्ड निर्गत कर दिया जाएगा । साथ ही मॉग भी सृजित की जाएगी ।

(iv) यह अभियान 16 जून 2014 से 22 जून 2014 तक चलेगा ।

(v) कार्यक्रम पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित पत्र सभी वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करावेंगे ।

4. सभी पंचायत रोजगार सेवक निम्नलिखित प्रपत्र में इस अभियान का प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को देंगे :-

क्र.सं.	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या का नाम	सम्पर्क किए गए परिवारों की संख्या	कार्य की मॉग करने वाले परिवारों की संख्या	मॉग किए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या	कार्य की मॉग नहीं करके अनिच्छा प्रमाण पत्र देने वाले परिवारों की संख्या	MIS के अनुसार मॉग दर्ज कराने वाले परिवारों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी इस अभियान की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन करेंगे तथा दिनांक 27.06.2014 को प्रखंड स्तर पर पंचायत रोजगार सेवकों की बैठक आयोजित करके अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे । वे निम्नवत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

(i) सभी पंचायत रोजगार सेवकों ने अनिवार्य रूप से हर परिवार से सम्पर्क किया है ।

(ii) जो भी मॉग सृजित हुई है, उसकी MIS पर प्रविष्टि कर हो गयी है । यदि किसी आवेदक ने Helpline पर Call नहीं किया एवं कार्य की मॉग की है, उनके लिए पंचायत रोजगार सेवक Helpline पर MIS में Toll free call करके मॉग दर्ज करावेंगे ।

(iii) जिन परिवारों ने अनिच्छा प्रमाण पत्र दी है, उनकी अनिच्छा प्रमाण पत्र पंचायत रोजगार सेवक द्वारा पंचायत अभिलेख में उपलब्ध रखा जायेगा । कार्यक्रम पदाधिकारी इसका अनुपालन देखेंगे ।

6. जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त के स्तर पर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक दिनांक 30.06.2014 के पूर्वाह्न में करेंगे तथा समीक्षा बैठक के आधार पर उप विकास आयुक्त जिले का एक समेकित प्रतिवेदन तैयार करेंगे । 30.06.2014 के अपराह्न में 3.00 बजे से 5.00 बजे के बीच विडियों कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उप विकास आयुक्त उपस्थित होंगे, जिसमें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

7. प्रगति की समीक्षा के उपरांत अगले सप्ताह पड़ने वाले बुधवार दिनांक 18.06.2014 को मनरेगा जॉच दिवस अभियान में जिलों से जाने वाले वरीय उप समाहर्ताओं के द्वारा औचक रूप से इस अभियान की सफलता के लिए पंचायत रोजगार सेवकों / कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी । इनके द्वारा मूल रूप से निम्न बिन्दुओं पर सरजमींन की स्थिति का आकलन किया जाएगा :-

(i) क्या पंचायत रोजगार सेवक ने हर परिवार से सम्पर्क किया है?

(ii) क्या परिवारों से सम्पर्क करके उनके मॉग Capture की है या अनिच्छा प्रमाण पत्र लिया है?

(iii) क्या जिनको जॉबकार्ड की आवश्यकता थी, उनको जॉबकार्ड निर्गत किया गया है?

8. जिन मामलों में प्रभारी पदाधिकारी यह महसूस करते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक / कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरती है, उन मामलों में पंचायत रोजगार सेवकों / कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करके, उनका पक्ष सुनकर, पदमुक्त करने की कार्रवाई उप विकास आयुक्त द्वारा की जाय ।

9. **राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है कि इच्छुक परिवारों से Pro-active सम्पर्क करके यदि वे मनरेगा में काम करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाय** । साथ ही हर परिवार तक विभाग की टॉल फ्री नं. 18001208001 की जानकारी हो जाय । कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन के आधार पर इस अभियान की समीक्षा करें । मॉग ऑनलाईन दर्ज हो तथा मॉग के अनुरूप कार्य आवेदित किया जाय ।

10. जिला कार्यक्रम समन्वयकों की यह निजी जिम्मेदारी होगी कि सरकार के इस दिशानिर्देश का शत-प्रतिशत पालन करावें ।

11. आप अवगत होंगे कि राज्य स्तर पर State Quality Monitors का पैनल तैयार किया गया है । उक्त मनरेगा दिवस जॉच अभियान के उपरांत जिलों से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के बाद राज्य स्तर से State Quality Monitors को प्रतिनियुक्त करके औचक आधार पर इस दिशानिर्देश के अनुपालन की समीक्षा करायी जाएगी एवं तदोपरांत राय बनायी जाएगी ।

विश्वासभाजन

3.6.14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

अनुलग्नक - 1

अनिच्छा आवेदन पत्र का प्रपत्र

मैं.., पिता/पति.., जाब कार्ड संख्या...................................., जो ग्राम..................................., पंचायत ...., प्रखंड ...., जिला .... का निवासी हूँ, यह वक्तव्य देता हूँ कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मुझे मनरेगा में काम के अधिकार के संबंध में सारी जानकारी दी गयी है, परंतु मैं मनरेगा अंतर्गत काम करने का इच्छुक नहीं हूँ । (उपरोक्त लिखी बातें मुझे पढ़कर सुना दी गयी है तथा मैंने सब समझ कर अंगुठा का निशान बनाया है)

....

(परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान)

जाब कार्ड संख्या ....

गवाह का हस्ताक्षर

1. .... (......नाम......), जाबकार्ड संख्या ....
2. .... (.....नाम........), जाबकार्ड संख्या ....

....

(पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर)

....

(वार्ड सदस्य का प्रतिहस्ताक्षर)

<u>कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वार्ड सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप</u> :-

मनरेगा के अंतर्गत काम की मॉग करने के इच्छुक परिवारों के काम की मॉग दर्ज करने के लिए विभाग द्वारा हेल्पलाईन संख्या 18001208001 स्थापित किया गया है । यह टॉल फ्री फोन सुविधा है जिसमें कोई भी व्यक्ति मनरेगा के अंतर्गत काम की मॉग दर्ज करा सकता है । दूरभाष पर दर्ज करायी गयी काम की मॉग स्वत: नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्ट हो जाएगी, जिसके आधार पर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संबंधित परिवार को काम की मॉग के आधार पर काम आवंटित कर दिया जाएगा । आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार किया जाय ।

2. राज्य सरकार का यह दिशानिर्देश प्राप्त हुआ है कि 01 जून 2014 से 07 जून 2014 के बीच विभिन्न वार्डों के सभी इच्छुक परिवारों से सम्पर्क करके काम की मॉग का सृजन किया जाय । इस हेतु पंचायत रोजगार सेवक आपसे सम्पर्क करेंगे । आपसे अनुरोध है कि अपने वार्डों के सभी इच्छुक परिवारों के काम की कॉग का सृजन कराया जाय ।

3. उल्लेखनीय है कि काम की मॉग के दर्ज होने के 15 दिनों के अंदर काम देना मनरेगा अधिनियम में अनिवार्य है । 15 दिनों के अंदर काम नहीं देने पर संबंधित परिवार बेरोजगारी भत्ता के हकदार होते हैं । उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वार्ड सदस्य को भी काम की मॉग दर्ज करने के लिए अधिकृत किया हुआ है । अत: इस अभियान के अलावा आप स्वयं भी मॉग दर्ज करा सकते हैं तथा साथ ही संबंधित परिवारों को अवगत करा सकते हैं कि वे विभाग के टॉल फ्री नं. पर फोन करके काम की मॉग दर्ज करा दें ।

4. वार्ड के इच्छुक परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिलाने में आपके बहुमूल्य योगदान की अपेक्षा है ।

....

कार्यक्रम पदाधिकारी